# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 1/389/18
तारीख दायरा : 08.06.2018

**उनवान**

1. जगदीश प्रसाद पुत्र गिल्याराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बहडकोकलां तहसील रैणी जिला अलवर।
2. बद्री पुत्र भौरया जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बहडकोंकलां तहसील रैणी जिला अलवर।

.....वादीगण

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अलवर।
2. तहसीलदार साहब रैणी

.....प्रतिवादीगण

(दावा दुरस्ती ईन्द्राजात अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट )
उपस्थित – श्री दीपक जैमन एडवोकेट वादी
पैरोकार सरकार प्रतिवादी

न्यायालय द्वारा :–

:: निर्णय ::  दिनांक : 23.09.2022

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि मिन वादी की कब्जे कास्त खातेदारी की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 700, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 व 709 कुल किता 9 रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम बहडकोंकलां है। उक्त आराजीयात का सम्वत 2046 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 935/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व 935/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा थे तथा साबिक खसरा नम्बर 935/1 व 935/2 के सम्वत 2020 से पूर्व खसरा नम्बरान् 398 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा था। उक्त खसरा नम्बर 398 मिन वादी के पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज था। समर्थन में जमाबन्दी सम्वत 2010 लगायत 2013, जमाबन्दी 2035 से 2038 व जमाबन्दी हाल व मिलान क्षेत्रफल 2020 व 2046 पेश किया है। मिन वादी के पूर्वज ग्राम बहडकों के पट्टीदार थे इसलिए आराजी उपरोक्त भौरया पुत्र देवबक्स गीलाराम व हणूतराम की पट्टी में थी। जमाबन्दी सम्वत 2010 से 2013 में उनके नाम मकबूजे मालकान का इन्द्राज है और उक्त भूमि की किस्म बंजड कदीम दर्ज है। सम्वत 2020 में बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने खसरा नम्बर 398 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा के नये नम्बरान 935/1, 935/2, 936, 937, 938 च 939 बनाये उक्त नम्बरान में से खसरा नम्बर 935/1 व 935/2 को गलती से चारागाह दर्ज कर दिया जिसका कि उनहे कोई अधिकार नही था तथा साबिक खसरा नम्बर 398 के शेष

नम्बरान पर हमारे परिवारजन की खातेदारी दर्ज कर दी जिसका समर्थन जमाबन्दी सम्वत 2035 व 2038 होना है। उक्त दोनो नम्बरान 935/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा व 935/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 5 बीघा से सम्वत 2046 के बन्दोबस्त में बन्दोबस्त कर्मचारियों ने हाल खसरा नम्बरान 700 लगायत 709 बनाये है। आराजी विवादग्रस्त मय खसरा नम्बर 398 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा में स्व0 भौरया पुत्र देवबक्श, मीना व हणूतराम पुत्रान हुकमाराम का प्रत्येक का 1/3 व 1/3 हिस्सा था जिन्होने उक्त आराजी के साथ अन्य आराजीयात का आपसी बंटवारा कर लिया और उक्त आराजी में 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्व0 भौरया पुत्र देवबक्स तथा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि हणूतराम के हिस्से में आई परन्तु सम्वत 2020 में उक्त आराजी में से 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि का 701 नम्बर बनाकर उसे सिवायचक दर्ज कर दिया जिस की दुरस्ती का वाद स्व. भौरया के वारिसान ने न्यायालय में पेश कर रखा है तथा 1 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्व0 हणूतराम के दत्तक पुत्र नेमीचन्द के वारिसान के नाम आज भी खातेदारी में दर्ज है परन्तु 4 बीघा 15 बिस्वा भूमि में से 4 है0 भूमि सिवायचक निकाल दी और उसका नम्बर 700 दर्ज कर दिया। साथ 1.25 है0 भूमि गोचर में दर्ज कर दी और उसके नम्बरान 702 लगायत 709 है जिनमें 703 व 705 पर मिन वादी ने अपने नाम आवंटित करा लिया और वर्तमान खसरा नम्बरान 702, 704, 706, 707, 708, 709 आज भी गोचर दर्ज है जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है और दुरस्ती की मोहताज है। उक्त भूमि जो गोचर दर्ज है वह मुझ वादी के पिता के हिस्से की है। इसलिए मेरे द्वारा ही उक्त भमि की दुरस्ती का वाद पेश किया गया है पर अन्य परिवारजन इसके लिए न तो आवश्यक पक्षकार है, न ही प्रौपर पक्षकार है इसलिए उन्हे दावे में पक्षकार नही बनाया गया है क्योकि मिन वादी का भाई नेमीचन्द तो हणूतराम के गोद चला गया और रामनिवास व धर्मचन्द के हिस्से में अन्य आराजीयात आई है उनका उक्त विवादित आराजी से कोई सम्बन्ध नही है। अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजीयात खसरा नम्बरान 700, 702, 704, 706, 707, 708, 709 कुल किता 9 कुल रकबा 0.40 है0 का खातेदार घोषित कर हाल जमाबन्दी के खाना नम्बर 4 के मिन वादी का नाम दर्ज करने व चारागाह भूमि का इन्द्राज हजफ किया जावे व असल प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावे कि वो हाल आराजीयात खसरा नम्बरान वर्णित बिन्दु संख्या 1 को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को अलोट न करे, न वादी के खिलाफ 91 की कार्यवाही अमल में लावे।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण असालतन व वकालतन उपस्थित न्यायालय आये तथा उनके द्वारा जवाब पेश किया गया कि सम्वत 2020 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 398 के बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने नये नम्बर 935/1, 935/2, 936, 937, 938, 939 बनाये उक्त 6 खसरा नम्बरान में से 4 खसरा नम्बरों पर वादीगण व उनके परिवारजन का कब्जा था। इसलिए उनकी खातेदारी उनके नाम दर्ज कर दी गई और खसरा नम्बर 935/1 व 935/2 पडत पड़ हुए थ जिन्हे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने सही रूप से सिवायचक व चारागाह निकाल दिया तथा सम्वत 2046 में बन्दोबस्त में साबिक खसरा नम्बरान 935/1 व 935/2 व हाल खसरा नम्बर 700 लगायात 709 कायम किये गये जिन पर वादी व उसके

परिवारजन काबिज है। बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने सम्वत 2020 व 2046 का बन्दोबस्त करते समय सही रूप से विवादित नम्बरों को सिवायचक व चारागाह दर्ज किया है और वर्तमान में उक्त नम्बरों पर वादी का कब्जा है जिसके लिए 91 राजस्थान लैण्ड रैवन्यु एक्ट के तहत वादी के विरूद्व कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्त प्रकरण में दावा, जवाबदावा एवं राजस्व अभिलेख के आधार पर तनकीयात कायम की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। योग्य अधिवक्ता वादीगण द्वारा अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए दावा वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में वकील वादी के तथ्यों का प्रतिरोध करते हुए जवाब दावे के तथ्यों को दोहराते हुए दावा वादी खारिज किये जाने का निवेदन किया।

हमने दोनो पक्षों के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है –

**तनकी नं0 1** – आया वादी हाल आराजी खसरा नम्बर 700, 702, 704, 706, 707, 708, 709 किता 9 रकबा 0.40 है0 वाके ग्राम बहडकोंकलां तहसील रैणी का खातेदार घोषित कराने व हाल जमाबन्दी के खाना नम्बर 4 के मिन वादी का नाम दर्ज करने व चारागाह भूमि का इन्द्राज हजफ कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी सम्वत 2010 ला0 2013, जमाबन्दी सम्वत 2035 से 2038 व हाल जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2020 व 2046 पेश किये है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 700, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708 एवं 709 कुल किता 9 रकबा 1.30 है0 वाके ग्राम बहडकोंकलां में स्थित है। मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2046 के अनुसार विवादित आराजी के सम्वत् 2046 के पूर्व के साबिक खसरा नम्बर 935/1 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, 935/2 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा थे तथा मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2020 के अनुसार विवादित आराजीयात साबिक खसरा नम्बर 935/1 एवं 935/2 के सम्वत् 2020 के पूर्व साबिक खसरा नम्बर 398 मिन था।

वादी का कथन है कि वादी के पूर्वज ग्राम बहडकोंकलां के पट्टीदार थे इसलिए उपरोक्त आराजी भौरया पुत्र देवबक्स, गीलाराम, हणूतराम की पट्टी में थी और जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 में उनके नाम मकबूजे मालकान का इन्द्राज है। साबिक खसरा नम्बर 398 का शेष रकबा मिन वादीगण के पूर्वजों के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया परन्तु बन्दोबस्त विभाग द्वारा विवादित आराजीयात को सिवायचक/चारागाह दर्ज कर दिया जबकि बन्दोबस्त विभाग को इन्द्राज परिवर्तन करने का अधिकार नही था।

पैरोकार सरकार द्वारा प्रतिवादीगण की और से प्रस्तुत जवाब के अनुसार सम्वत् 2020 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 398 के बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने नये नम्बर 935/1

व 935/2, 936, 937, 938, 939 बनाये तथा 6 खसरा नम्बरान् में से 4 खसरा नम्बरों पर वादीगण व उनके परिवारजन का कब्जा था इसलिए उनकी खातेदारी में उनके नाम दर्ज कर दी गई थी और खसरा नम्बर 935/1, 935/2 पड़त पडे हुये थे जिन्हे बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने सही रूप से सिवायचक/चारागाह निकाल दिया। सम्वत 2046 में बन्दोबस्त में साबिक खसरा नम्बर 935/1 व 935/2 से हाल खसरा नम्बर 700 ला0 709 कायम किये गये जिन वादी व उनके परिवारजन काबिज है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा सही इन्द्राज किया गया है।

दोनो पक्षों के उपरोक्त कथनों पर मनन किया तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 के अनुसार आराजी भौरया पुत्र देवबक्स, गीलाराम व हणूतराम की पट्टी में थी और में उनके नाम मकबूजे मालकान का इन्द्राज है। विवादित आराजी के सम्वत् 2020 से पूर्व साबिक खसरा नम्बर 398 के बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों ने नये नम्बर 935/1 व 935/2, 936, 937, 938, 939 कुल 6 खसरा नम्बरान् बनाये गये जिनमें से 4 खसरा नम्बरों पर वादीगण व उनके परिवारजन की खातेदारी में उनके नाम दर्ज कर दी गई। परन्तु शेष 02 खसरे सिवायचक/चारागाह दर्ज कर दिये।

चूंकि पैरोकार सरकार ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि विवादित आराजी पर वादी व उनकें पूर्वजों का कब्जा ही नही था। पैरोकार सरकार का यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य है क्योंकि जमाबन्दी सम्वत् 2010–13 के अनुसार विवादित आराजी की किस्म बंजड कदीम दर्ज है। इसलिए ऐसी स्थिति में यह नही माना जा सकता कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत इन्द्राज किये गये थे।

अतः उपरोक्त राजस्व अभिलेख के परीक्षण एवं वादी एवं प्रतिवादी पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत कथनों के अनुसार हम यह पाते है कि वादी अपने दावे को साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा तनकी नं0 1 विरूद्व वादी तय की जाती है।

**तनकी नं0 2** – आया वादी उक्त वर्णित आराजीयात खसरा नम्बरान् को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को अलोट न करने व वादी के विरूद्व धारा 91 की कार्यवाही न करने प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। जैसाकि तनकी नं0 1 में विवेचित किया जा चुका है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज को वादी गलत साबित करने में असफल रहा है तथा वर्तमान में विवादित सिवायचक/चारागाह भूमि पर पैरोकार सरकार के कथनानुसार वादी व उसके परिवारजन काबिज है। चूंकि सिवायचक/चारागाह भूमि पर बिना किसी अधिकार के काबिज रहना कानून की नजर में एक अतिक्रमी की हैसियत रखता है और अतिक्रमी/अतिचारी को एलआरएक्ट की धारा 91 के तहत भूमिधारी द्वारा बेदखल कराने का अधिकार प्राप्त है। अतः ऐसी स्थिति में वादी तनकी नं0 2 को भी

साबित करने में असफल रहे है। लिहाजा तनकी नं0 2 विरूद्ध वादी बहक प्रतिवादी तय की जाती है।

उपरोक्त समग्र विवेचन के उपरान्त दावा वादी खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

## अतः आदेश है कि

दावा वादी बाबत आराजी खसरा नम्बर 700, 702, 704, 706, 707, 708, 709 वाके ग्राम बहडकोंकलां तहसील रैणी अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट दस्तावेजी साक्ष्य में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 23.09.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिंघल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या : 1/389/18
तारीख दायरा : 08.06.2018

**उनवान**

1. जगदीश प्रसाद पुत्र गिल्याराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बहडकोकलां तहसील रैणी जिला अलवर।
2. बद्री पुत्र भौरया जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बहडकोकलां तहसील रैणी जिला अलवर।

.....वादीगण

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश महोदय अलवर।
2. तहसीलदार साहब रैणी

.....प्रतिवादीगण

(दावा दुरस्ती इंन्दाजात अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट )
उपस्थित – श्री दीपक जैमन एडवोकेट वादी
पैरोकार सरकार प्रतिवादी

## पर्चा डिक्री

दिनांक 23.09.2022

दावा वादी बाबत आराजी खसरा नम्बर 700, 702, 704, 706, 707, 708, 709 वाकें ग्राम बहडकोकलां तहसील रैणी अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटीएक्ट दस्तावेजी साक्ष्य में साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.09.2022 को तैयार की गई।

(अनिल कुमार सिंघल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)